IN THE COURT OF LAL BAHADUR PRASAD DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-XX, PATNA (BIHAR)

A.B.P. No. 3205/2026

[Arising out of Shastri Nagar P.S. case no. 377 of 2026]

Present:- Lal Bahadur Prasad
D.A.S.J. - XX, Patna

---

1. Accused: Indrajit Kumar, Aged 43 years,

2. Prem Kumar @ Prem Kumar Vidyarthi, Aged 47 years, Both S/o- Late Ramesh Chandra Singh, R/o- Shekhpura, P.S.- Shastri Nagar, Dist- Patna.

..... Petitioners

VS

State of Bihar

..... Opposite Party

Sl. No.	Date of Order of Proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with date
	25.08.2026:	**1.** प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकगण इंद्रजीत कुमार एवं प्रेम कुमार उर्फ प्रेम कुमार विद्यार्थी के **शास्त्रीनगर थाना काण्ड संख्या 377/2026** अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 303(2), 352, 351(2), 3(5) B.N.S. में गिरफ्तारी की आशंका को लेकर दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्राप्त कराई गई है। **2.** सूचक चंदन कुमार का केस प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में यह है कि दिनांक 09.05.2026 को अपने फ्लैट नंबर 103 में वह आराम कर रहे थे। तभी समय करीब दोपहर 12.15 बजे लगभग पांच व्यक्ति जिनका नाम **इंद्रजीत कुमार (आवेदक), प्रेम कुमार (आवेदक)** और साथ में 3 लोग जिनका नाम मालूम नहीं है, अचानक सूचक के फ्लैट में घुसकर धमकी देने लगे की मेरा मकान खाली करो और जब सूचक ने विरोध किया गया तब सभी लोगों सूचक के साथ मारपीट करने लगे और सूचक के घर से 25 ग्राम सोने की चेन, 3 ग्राम की अंगूठी और पर्स में रखे ग्यारह हजार रूपए जबरन ले गए और जान से मारने की धमकी दी। इसलिये यह प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। **3.** आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता अपने आवेदन को प्रचालित कर निवेदन करते हैं कि आवेदकगण द्वारा कोई अन्य जमानत आवेदन इस न्यायालय या उच्च न्यायालय अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का पूर्व कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण निर्दोष हैं तथा उन्हें इस वाद में झूठा फंसा दिया गया है। आवेदकगण सहोदर भाई हैं और फ्लैट नंबर 103 के इकलौते मालिक हैं। आवेदकगण को केवल इस वाद में फ्लैट हड़पने के लिए फंसाया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप पूर्णतः गलत, मनगढ़ंत एवं असत्य है। सूचक ने आवेदकगण को दिनांक 02.07.2026 को एक कानूनी नोटिस भी भेजा है, जिसमें गलत एवं बनावटी तथ्य बताए गए हैं कि आवेदकगण ने उक्त फ्लैट के निष्पादन और पंजीकरण के लिए उनके साथ दिनांक 06.01.2025 को बिक्री का इकरारनामा किया था, जिसका उद्देश्य उस पर कब्जा करना था। जबकि आवेदकगण द्वारा उक्त फ्लैट को हड़पने के इरादे से ऐसा बिक्री का कोई इकरारनामा निष्पादित नहीं किया था। आवेदकगण न्यायालय के सभी शर्तों को	

IN THE COURT OF LAL BAHADUR PRASAD DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-XX, PATNA (BIHAR)

A.B.P. No. 3205/2026

[Arising out of Shastri Nagar P.S. case no. 377 of 2026]

Present:- Lal Bahadur Prasad
D.A.S.J. - XX, Patna

	Contd. 25.08.2026:	मानने तथा बंध पत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं। **4.** अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि उचित आदेश पारित किया जाये । **5.** उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं। आवदेकगण पर सूचक के साथ मारपीट करने एवं सोने का चेन, अंगूठी एवं पैसा चोरी करने का आरोप है। कांड दैनिकी के पारा 8 में वादी का पुनः बयान है, जिसमें घटना का समर्थन किया गया है। कांड दैनिकी के पारा 9,10,11,12 एवं 13 में साक्षी का बयान है, जिसमें घटना का समर्थन किया गया है। काण्ड दैनिकी के पारा 11,12 एवं 13 में स्वतंत्र साक्षी जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। जिन्होंने बताया है कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट चोरी जैसा घटना नहीं हुआ है, हो–हल्ला मारपीट व चोरी की घटना को गलत बताते हुए बताए हैं कि ऐसा कोई घटना यहां नहीं हुआ है, फ्लैट के विवाद के कारण प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है एवं काण्ड दैनिकी के पारा 14 में सी.सी.टी.वी. कैमरा से ज्ञात हुआ है कि उस समय ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। साथ ही ज्ञात होता है कि आवेदकगण पर किसी प्रकार का स्पष्ट आरोप नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार एवं आरोप की प्रकृति पर विचार करते हुए न्यायालय यह पाती है कि प्राथीगण को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस आदेश के एक माह के अंदर विचारणीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में दस हजार (**10,000**) रुपये के दो समान राशि के जमानतदार विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार बंधपत्र प्रस्तुत करने पर आवेदकगण **इंद्रजीत कुमार एवं प्रेम कुमार** को अग्रिम जमानत पर **मुक्त** करने का आदेश दिया जाता है। **लेखापित एवं शुद्धित** **Sd/-** **अपर सत्र न्या0XX,पटना**	